

मांग संख्या  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

वर्ष 2013-14 में 9.53 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण, 2023 का ऋण लिया गया है। इस ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 47.65 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,65,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

वर्ष 2013-14 में 9.68 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण, 2023 का ऋण लिया गया है। इस ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 24.20 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पेंशनर्स एवं कर्मचारी कल्याण विभाग में मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज हेतु राशि रुपये 179.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,79,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पेंशनर्स एवं कर्मचारी कल्याण विभाग में शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज हेतु राशि रुपये 2354.69 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,54,69,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

पेंशनर्स एवं कर्मचारी कल्याण विभाग में शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 हेतु राशि रुपये 4615.93 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,15,93,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

पेंशनर्स एवं कर्मचारी कल्याण विभाग में शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 हेतु राशि रुपये 8059.17लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,59,17,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

**मद क्रमांक 1**

राजभवन के अंतर्गत विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 70.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

**मद क्रमांक 2**

माननीय मुख्य मंत्रीजी के विवेकाधीन अनुदान मद के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में रुपये 7.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 3**

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग में चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु नवीन मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4 - 5

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत फर्नीचर क्रय एवं स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 51.33 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु नवीन मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के क्रय के लिये इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 45.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम किराये से लिये जाने की आवश्यकता है। इसपर राशि रुपये 50.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

#### मद क्रमांक 9

राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 60,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

#### मद क्रमांक 10

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी अनुप्रयोग एवं राज्य की ई-मेल नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये टेबलेट क्रय हेतु रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11 - 12

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली कार्यालय के अंतर्गत भवन के 26 कमरों हेतु टेलीविजन क्रय एवं दूरभाष मद हेतु राशि रुपये 5.50 लाख का अतिरिक्त व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 13

आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के अंतर्गत मेला, उत्सव प्रदर्शनी मद में रुपये 10,000 का अतिरिक्त व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली कार्यालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु राशि रुपये 3.60 लाख का अतिरिक्त व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

आवासीय आयुक्त म.प्र. भवन, नई दिल्ली अंतर्गत विशेष आयुक्त कार्यालय की स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 13.30 लाख का अतिरिक्त व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 16**

लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था हेतु नवीन मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17 - 19**

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वेतन भत्ते मद में इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 2.35 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20 - 21**

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन समिति के पुनर्गठन योजना अंतर्गत वेतन एवं ग्रेड पे हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 1.70 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 22**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत गोपनीय सेवा मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 23**

प्रशासन अकादमी के अंतर्गत यात्रा भत्ता मद में रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 24**

प्रशासन अकादमी के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान मद में राशि रुपये 1.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25 - 29**

लोकायुक्त कार्यालय हेतु यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण/विदेश यात्रा, लेखन सामग्री, पेट्रोल एवं तेल, अभिभाषकों की फीस एवं गोपनीय सेवा मद में व्यय हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 41.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 30**

मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जाना है. इसके लिये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

मध्यलोक अतिथि गृह नवी मुम्बई में मध्यलोक भवन के निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02  
मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 1**

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के प्रदेश भ्रमण हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 50.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। राशि भारत मद में प्रावधानित राशि को समर्पित कर उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 2 - 11**

मध्यप्रदेश दतिया जिले की सेवदा तहसील में रतनगढ़ माता मंदिर दुर्घटना की न्यायिक जांच हेतु आयोग का गठन किया गया है। आयोग कार्यालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 5.37 लाख के व्यय की संभावना है। राशि की प्रतिपूर्ति उपलब्ध बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 14**

सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल जांच आयोग कार्यालय हेतु अन्य भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं अन्य आकस्मिक व्यय मदों के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 52,78,900 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,78,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

म. प्र. सत्कार कार्यालय हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में वर्ष के दौरान राशि रू. 50,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रू. 50,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

मध्यप्रदेश सत्कार कार्यालय हेतु अन्य आकस्मिक व्यय मद में रुपये 50,000 का व्यय होना संभावित है। राशि भारत मद में प्रावधानित राशि को समर्पित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

मध्यप्रदेश राज्य सत्कार कार्यालय अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन हेतु रुपये 6.00 लाख का व्यय होना संभावित है। राशि भारत मद में प्रावधानित राशि को समर्पित कर उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 61**

मध्यप्रदेश शासन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में शासन से समन्वय एवं सतत संपर्क में रहने हेतु नवीन व्यवस्था-संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) की स्थापना/गठन हेतु वेतन भत्ते, मजदूरी, कार्यालय व्यय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यावसायिक सेवाओं की अदायगी, यात्रा भत्ता, मशीने एवं अनुरक्षण कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 1,13,07,400 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,07,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 - 3**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत क्षतिपूर्ति, गोपनीय सेवा, उपकरण हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 12.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत किराया, महसूल कर मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत कार्यालय उपकरण का क्रय मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

प्रदेश के बड़े शहरो एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की स्थापना की जानी है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा 25.00 करोड़ की एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 12**

सड़क सुरक्षा कोष के अंतर्गत शमन शुल्क की राशि वसूल कर जमा की जाती है। इस जमा राशि के अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय, प्रशिक्षण, अन्य प्रभार एवं उपकरण में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आटोमेटिक स्वचलित अंगुलिचिन्ह व्यवस्था हेतु अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

प्रधान सेनानी (नगर सेना) नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

प्रधान सेनानी (नगर सेना) नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 17**

प्रधान सेनानी (नगर सेना) नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत अन्य भत्ते एवं भोजन व्यय मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 28.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 18**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानो का निर्माण/सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 5.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 58.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

महिला अपराध जोन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के भवन निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

**मद क्रमांक 21**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत भवन एवं आवास गृहों के निर्माण हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 22**

पुलिस इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग काम्प्लेक्स भौरी हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

**मद क्रमांक 1**

मंती बंगलों की साज-सज्जा कार्य मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05  
मुख्य शीर्ष 2056

**मद क्रमांक 1 - 3**

जेल विभाग के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन योजना में वेतन भत्ते एवं परीक्षा मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 9.35 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 10**

केन्द्रीय तथा जिला जेल योजना अंतर्गत वेतन, याता भत्ते एवं बिजली जल प्रभार मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 269.40 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,69,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 13**

जेल विभाग के अंतर्गत जेल उत्पादन योजना अंतर्गत वेतन, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 17.40 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06  
मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 1**

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत निर्देशन और प्रशासन मद में एक नवीन वाहन क्रय करने की आवश्यकता को देखते हुये रुपये 7.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07  
मुख्य शीर्ष 2030

**मद क्रमांक 1**

वाणिज्यिक कर विभाग म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का म.प्र. पंचायत भू-राजस्व एवं स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण हेतु राशि रुपये 51,11,76,800 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,11,76,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

**मद क्रमांक 2**

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जिला स्थापना हेतु 7 सीटर की छः नवीन वाहन क्रय हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08  
मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 1**

राजस्व बोर्ड के अंतर्गत महंगाई भत्ता ( भारित) के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 2**

जिला स्थापना अंतर्गत मजदूरी मद में अतिरिक्त राशि रुपये 3.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना के अंतर्गत अन्य भत्ते में राशि रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राजस्व आयुक्त स्थापना के अंतर्गत मकान किराया भत्ता में अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10  
मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1 - 3**

प्रदेश स्थित वन विश्रामगृहों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

**मद क्रमांक 4**

व्यावसायिक सेवाओ हेतु अदायगियां में परामर्श शुल्क की आवश्यक राशि का व्यय स्वीकृत बजट से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां में परामर्श शुल्क की आवश्यक राशि का व्यय स्वीकृत बजट से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

वन्य प्राणी कक्ष हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में राशि रुपये 16.11 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन को अनुदान के अंतर्गत रुपये 50.00 लाख का व्यय आवश्यक है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 8 - 9**

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रुपये 3.50 करोड़ का व्यय आवश्यक है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

वन विकास निधि से अंतरण (भारित) के अंतर्गत राशि रुपये 775.69 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,75,69,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां में परामर्श शुल्क की आवश्यक राशि का व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा के अंतर्गत रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13 - 16**

जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के अंतर्गत राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	2851

**मद क्रमांक 1**

पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय-ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2852
-------------	------

**मद क्रमांक 2 - 3**

मध्यवर्ती कार्यालय में, कार्यालय व्यय अंतर्गत नवीन फर्नीचर का क्रय एवं कम्प्यूटर हेतु काट्रेज /टोनर के भुगतान हेतु कुल राशि रुपये 12.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

परिक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना अंतर्गत परिवहन व्यवस्था के लिये रुपये 2,00,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

राजकुमार मिल्स, इंदौर के विधिक बंदीकरण हेतु म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 21.15 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता अंतर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष - ब्याज अनुदान -2012 हेतु राशि रूपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

### मद क्रमांक 8

अन्य व्यवसायिक उपक्रमों का विनियमन भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन अंतर्गत कार्यालय व्यय-किराया व कर हेतु राशि रूपये 37.38 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 37,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4875

### मद क्रमांक 9 - 10

कम्पोजिट कार्यालय भवन के निर्माण अंतर्गत फर्नीचर तथा फर्निशिंग के लिये राशि रूपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

### मद क्रमांक 1

निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि रूपये 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

टैरिफ सब्सिडी हेतु अनुदान के रूप में राशि रूपये 600.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

दीनबंधु योजना अंतर्गत बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ताओं पर दिनांक 30-6-2013 की स्थिति में लंबित देयकों में लगने वाले सरचार्ज एवं शेष बकाया मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ करने के पश्चात शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा 5 समान वार्षिक किस्तों में विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जावेगी। इस वर्ष 2013-14 में रूपये 100.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान के रूप में राशि रूपये 350.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

### मद क्रमांक 5

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित योजना सीमा तक धनवेष्टन हेतु राशि रूपये 28.179 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 28,17,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 6**

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित योजना सीमा तक ऋण हेतु राशि रुपये 65.751 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,75,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. के अंतर्गत म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की अंशपूंजी हेतु प्रतीक प्रावधान रखा जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

कृषि महाविद्यालयों/कृषि शोध संस्थानों द्वारा चयनित प्रदेश के उन्नत खेतों का चयन कर प्रदेश के अन्य किसानों को उन खेतों का प्रदर्शन करारकर उन्नत खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत कृषकों के दावों का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 4394.01 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,94,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेंट योजना हेतु राज्यांश राशि रुपये 7.18 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 64.58 लाख कुल राशि रुपये 71.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1 - 2**

पशु संगणना की केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राशि रुपये 210.61 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मुर्गा पालन विकास प्रक्षेत्र हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

केन्द्र प्रवर्तित चारा एवं आहार विकास योजना हेतु राज्यांश राशि रुपये 12.19 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 49.06 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 61,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियों के अंतर्गत राशि रुपये 4.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

पशुपालन विभाग के अंतर्गत गुणवत्ता एवं स्वच्छ उत्पादन हेतु अधोसंरचना सुदृढीकरण के लिये केन्द्रांश राशि रुपये 1.84 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

#### मद क्रमांक 7

गौ-संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन एवं उत्पादन केन्द्र ग्राम सालरिया तहसील सुसनेर जिला शाजापुर में अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15

मुख्य शीर्ष 2235

#### मद क्रमांक 1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जिला पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 32.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जिला पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 83.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जनपद पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 32.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जनपद पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये

83.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 96.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि में हुई वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 249.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,49,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

#### मद क्रमांक 7

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना अंतर्गत भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 466.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,66,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

#### मद क्रमांक 8

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। योजना अंतर्गत किचिनशेड कम स्टोर रुम का निर्माण किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में रुपये 423.015 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 141.005 लाख कुल रुपये 564.02 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,64,02,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16

मुख्य शीर्ष 2405

#### मद क्रमांक 1

मछली पालन विभाग के अंतर्गत कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग सिंगरौली को नवीन कलेक्टर भवन में कार्यालय हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2

मछली पालन विभाग के अंतर्गत माननीय न्यायालय शिवपुरी के द्वारा पारित निर्णय में डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3

मछली पालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में मत्स्य संकाय की स्थापना हेतु वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

### मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अंतर्गत अधीक्षण योजना अंतर्गत परिवहन मद में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 8

सहकारिता विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के कार्य संचालन हेतु रुपये 22.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी न्यायाधिकरण योजना अंतर्गत सफाई व्यवस्था हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

### मद क्रमांक 1 - 6

श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत अन्य भत्ते, वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेडपे, दवाईयों का क्रय एवं अन्य प्रभार हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 377.01 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,77,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7 - 8

श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य बीमा अस्पताल प्रशासन के लिये अन्य भत्ते एवं वाहन अनुरक्षण मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2230
-------------	------

### मद क्रमांक 9 - 10

श्रम विभाग के अंतर्गत औद्योगिक न्यायालय हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 65.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 12

श्रम विभाग अंतर्गत श्रम न्यायालय हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	19
मुख्य शीर्ष	2210

### मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निर्देशन एवं प्रशासन हेतु राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में क्षय चिकित्सालय हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3 - 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जिला चिकित्सालय हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं दूरभाष व्यय हेतु राशि रुपये 17.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अंधरोग उपचार हेतु रुपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6 - 7

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वेतन भत्ता एवं बिजली एवं जलप्रभार में कुल राशि रुपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 8

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रुपये 35.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 9

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परिचारिकाओं का प्रशिक्षण हेतु दूरभाष व्यय में रुपये 12,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 10

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 11

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में शीत ज्वर हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20  
मुख्य शीर्ष 2215

## मद क्रमांक 1

प्रशासन के अंतर्गत मेला, उत्सव, प्रदर्शनी मद में रुपये 10,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु रुपये 50,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 1,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2059

**मद क्रमांक 1**

शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु राशि रुपये 450.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2217
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

विकास प्राधिकरण को अनुदान हेतु राशि रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4217
-------------	------

**मद क्रमांक 3**

भू-अर्जन हेतु मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करने हेतु राशि रुपये 27.51 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पुनर्धनत्वीकरण योजना ( साऊथ टी.टी. नगर) भोपाल को पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1 - 26**

मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल का गठन किया जाकर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को मानदेय, वेतन भत्ते एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27 - 53**

मध्यप्रदेश राज्य वस्तु स्वच्छता मंडल का गठन किया जाकर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को मानदेय, वेतन भत्ते एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 54 - 80**

मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल का गठन किया जाकर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को मानदेय, वेतन भत्ते एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये राशि



रुपये 10.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 81

राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु राशि रुपये 1765.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 82 - 83

मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों हेतु राशि रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 84 - 85

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम अंतर्गत निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों हेतु राशि रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 86

झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	4700

### मद क्रमांक 1

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त बाण सागर परियोजना अंतर्गत में रुपये 20,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना अंतर्गत रुपये 50,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रुपये 5,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

बान सुजारा परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य पर रुपये 80,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

मोहनपुरा परियोजना अंतर्गत ठेकेदारों के भुगतान हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

महुअर परियोजना अंतर्गत रुपये 12,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

ईटखेड़ी मध्यम परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 4,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

तड़पेड़ मध्यम परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 3,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

दतूनी परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 12,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 4,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

**मद क्रमांक 11**

निम्नांकित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के निर्माण में रुपये 1370.21 लाख का व्यय संभावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत	अनु. अनुदान की राशि
1.	उज्जैन	क्षिप्रा नदी पर मंगलनाथ घाट का निर्माण	110.35	100
2.	उज्जैन	नरसिंहघाट भूखीमाता	104.52	100
3.	उज्जैन	त्रिवेणीघाट	171.20	100
4.	उज्जैन	भूखीमाता का अखाड़ा घाट	984.14	100
योग			1370.21	400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राजकीय राजमार्ग अंतर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु रुपये 60,00,00,000 के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः इस हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि में रुपये 1,24,74,00,000 का अनुदान प्रस्तावित है।

अतः इस हेतु रुपये 1,24,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण अंतर्गत रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 11**

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना अंतर्गत वेतन भत्ते, प्रशिक्षण एवं मानदेय के अंतर्गत रुपये 78,81,120 का व्यय संभावित है। जिसमें से रुपये 18,80,620 का व्यय बजट की बचत से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	25
मुख्य शीर्ष	2853

**मद क्रमांक 1**

खनिज साधन विभाग में निर्देशन के अंतर्गत वाहनों का क्रय हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

खनिज साधन विभाग में खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम -2005 में रुपये 141.34 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,34,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1**

ललित कला संस्थान मद अन्तर्गत खण्डवा संगीत महाविद्यालय हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2205
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

समारोह के आयोजन तथा कल्चर जोन इलाहाबाद / नागपुर के कारपस फण्ड आदि हेतु कुल राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

स्थल निरीक्षण हेतु वाहन में पेट्रोल, तेल आदि के लिए रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 4

मुरैना जिले में अटल बिहारी बाजपेयी सांस्कृतिक कला केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रूपये 100.00 लाख अतिरिक्त राशि का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

सेन महाराज ग्राम ताला जिला उमरिया में स्मारक निर्माण हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

#### मद क्रमांक 1

अशासकीय अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं को माननीय न्यायालयीन निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2

अशासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं हेतु माननीय न्यायालयीन निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 21.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3

अशासकीय अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं को माननीय न्यायालयीन निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 18.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

अशासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं को माननीय न्यायालयीन निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

#### मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण हेतु मकान किराया भत्ता मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रूपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

पंजीयक उच्च न्यायालय की सामान्य स्थापना में मकान किराया भत्ता एवं याता भत्ता मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय हेतु मकान किराया भत्ता मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

ई-कोर्ट्स परियोजना एवं कोर्ट ऑफ टुमारो के गैप एनालाइसिस के लिये डी.पी.आर तैयार करने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 9**

महाधिवक्ता कार्यालय हेतु महंगाई भत्ता, मजदूरी, कार्यालय व्यय एवं अभिभाषकों की फीस के लिये इस वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 14.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10 - 11**

उच्च न्यायालय /उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस भुगतान लंबित होने के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 55.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 13**

परिवार न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत मकान किराया भत्ता एवं अन्य आकस्मिक व्यय मद में इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 14 - 15**

राज्य विधान मंडल के निर्वाचन अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोल, तेल आदि एवं परिवहन व्यवस्था मदों में राशि रुपये 8.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 16 - 21**

म. प्र. मध्यस्थम अधिकरण कार्यालय हेतु महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा, बिजली एवं जल तथा पेट्रोल तेल मदों हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 17.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32  
मुख्य शीर्ष 2220

**मद क्रमांक 1 - 2**

निर्देशन एवं प्रसासन के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था एवं विज्ञापन एवं प्रचार के अंतर्गत राशि रुपये 5.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

इलेक्ट्रानिक मिडिया का प्रचार अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य के पत्रकारों को लैपटॉप प्रदाय करने की योजना प्रारंभ करने हेतु रुपये 1.00 करोड़ का आवश्यकता है। यह योजना नवीन मद के रूप में शामिल किया जाना है।

उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

प्रकाशन के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत क्षेत्र प्रचार मद में अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विशेष अवसरों पर प्रचार मद में अतिरिक्त राशि रुपये 7.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

**मद क्रमांक 8**

उद्योग विभाग के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन के अंतर्गत राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 9**

सड़क तथा सेतु हेतु जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में वर्गीकृत विज्ञापन मद में अतिरिक्त राशि रूपये 50,00,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शालाओं में किराया एवं महसूल कर में अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। जिसकी पूर्ति अन्य मद में संभावित बचत से की जायेगी। इस हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2 - 4

आदिम जाति कल्याण विभाग में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे हेतु राशि रुपये 3.90 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

आदिम जाति कल्याण विभाग में उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ कर्मचारियों के गंभीर बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

#### मद क्रमांक 6

आदिम जाति कल्याण विभाग में क्रीड़ा परिसर में मजदूरी हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिवासी अन्वेषण संस्था हेतु मकान किराया भत्ता की बजट लाईन प्रारंभ की जाने हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

#### मद क्रमांक 1

दृष्टि बाधित शालायें तथा संस्थायें अंतर्गत मजदूरी मद में राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2

मुख्यमंत्री निकाह योजना के संचालन हेतु राशि रुपये 700.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त योजना हेतु राशि रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के संचालन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता अंतर्गत मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के संचालन हेतु राशि रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग के गठन हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36  
मुख्य शीर्ष 2041

### मद क्रमांक 1

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण कार्यालय हेतु वाहन का प्रतिस्थापन हेतु नवीन मद के रूप में रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

कार्यालय सुविधाओं का विस्तार, आर. टी. ओ. कार्यालयों में लघु निर्माण कार्य, जन सुविधाओं का विस्तार, स्टोरेज सुविधाओं का उन्नयन, के लिये रुपये 2.25 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 3

परिवहन विभाग के अंतर्गत कार्यालय भवनों का निर्माण, आयुक्त मुख्यालय भवन का निर्माण, ड्रायवर ट्रेनिंग स्कूलों का निर्माण, आर.टी.ओ. कार्यालयों में जन सुविधाओं का विस्तार, मध्यम स्तरीय क्षे. परिवहन कार्यालय भवन परिसरों का निर्माण संबंधी परिव्यय हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37  
मुख्य शीर्ष 3452

### मद क्रमांक 1

प्रत्येक जिले के पर्यटन केन्द्रों के विकास के अंतर्गत दतिया जिले के कृषकों की निजी भूमि भू-अर्जन हेतु विशेष पुनर्वास पैकेज के लिये राशि रुपये 69.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5452

### मद क्रमांक 2

पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश) योजना हेतु राशि रुपये 1215.64 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,15,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर भोपाल के निर्माण हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 31.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप धार्मिक पर्यटन के विकास के लिये राशि रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पहुंच मार्गों एवं आंतरिक मार्गों के लिये राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 1**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म. प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

खाद्य विभाग के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापना करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत रूपये 175.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,75,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

खाद्य विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

खाद्य विभाग के अंतर्गत अन्तयोदय अन्न योजना अंतर्गत रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

खाद्य विभाग के अंतर्गत खुली निविदा पध्दति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन के अनुदान योजनान्तर्गत रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

खाद्य विभाग के अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक का वितरण योजनान्तर्गत रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 17**

खाद्य विभाग के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश रूपये 11,91,14,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,91,14,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

खाद्य विभाग के अंतर्गत नियंत्रक नाप-तौल कार्यालय की इंदौर स्थित नवीन प्रयोगशाला में बिजली एवं जल प्रभार हेतु रूपये 9.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 9,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

**मद क्रमांक 19**

खाद्य विभाग के अंतर्गत नाबार्ड सहायित गोदामों का निर्माण योजनान्तर्गत रूपये 156.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 156,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 2705

**मद क्रमांक 1 - 8**

राज्य स्तरीय आयाकट सेल के अंतर्गत रूपये 4.22 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4705

**मद क्रमांक 9**

वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र के विकास हेतु निर्माण कार्य पर रूपये 50,00,00,000 की आवश्यकता है।

अतः इस हेतु रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राज्यांश के रूप में रूपये 3100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 31,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रूपये 93.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 93,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 3**

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों / आश्रमों में प्रवेश न पा सकने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्र गृह योजना संचालित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रूपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में प्रोत्साहन के लिये कक्षा 12 वी में उत्तीर्ण कर स्नातक विज्ञान ( फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथ्स, बाटनी एवं जूलाजी ) पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम वर्ष रुपये 3000/- छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 236.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,36,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5-6**

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को गैस दरों में वृद्धि के कारण रुपये 25/- प्रति छात्र के मान से प्रदाय किये जाने हेतु एवं किराये के भवन में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लम्बित किराये के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 46.13 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,13,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि में से आईटीडीपी कुक्षी द्वारा पूर्व वर्षों की अव्ययित राशि हेतु रुपये 9.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण सह-विकास योजना अंतर्गत निर्गमित की गई राशि एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 55.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 9**

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से आर्थिक सहायता राशि में हुई वृद्धि के कारण पाल हितग्राहियों को सहायता राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 49.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 10**

कृषि महाविद्यालयों/कृषि शोध संस्थानों द्वारा चयनित प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के उन्नत खेतों का चयन कर प्रदेश के अन्य किसानों को उन खेतों का प्रदर्शन कराकर उन्नत खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1118.97 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,18,97,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन आफ फूड प्रोसेसिंग योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाता है। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्राप्त गत वर्ष की अवशेष राशि एवं इस वर्ष के एलोकेशन अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 446.25 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 88.75 लाख राज्यांश के रूप में व्यय संभावित है, राज्यांश के व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की

जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,46,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाता है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत गत वर्ष की अवशेष राशि का केन्द्रांश गत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनर्वेध किया जा सकेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 2.84 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.31 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 3.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 14

ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा योजना अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के विस्थापन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2415

### मद क्रमांक 15

विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर की स्थापना में वेतन भत्तो एवं अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

कृषि महाविद्यालय के लिये अनुदान योजना अंतर्गत कृषि महाविद्यालय खण्डवा के लिये राशि रुपये 115.00 लाख अधोसंरचना / पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिये किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 115.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 17

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये मुर्ना, गुना एवं खरगौन में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय भवन का निर्माण लागत रुपये 251.94 लाख एवं जिला चिकित्सालय खरगौन में ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य लागत रुपये 231.00 लाख से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 482.94 लाख का व्यय अनुमानित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

### मद क्रमांक 18

म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम योजना डी.एफ.आई.डी. सहायित योजनांतर्गत प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सभी लोगों को एक समान सुविधाये व लाभ उपलब्ध कराना, शिशु व मातृ मृत्यु की दरों में कमी लाना एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम व बचाव हेतु आंगनवाडी भवनो का निर्माण, आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्रो का उन्नयन, नवीन आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण, आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं आंगनवाडी सह सेक्टर प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राशि रुपये 667.80 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2235 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,67,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 19

इंदिरा सागर परियोजना के नहरो की स्वीकृति के अनुसार कमान क्षेत्र में वॉटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना संचालित है। परियोजना अंतर्गत वैनगंगा कछार के पुनरुद्धार कार्य के अनुबंध की स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

अपरवेदा परियोजना के नहरो की स्वीकृति के अनुसार कमान क्षेत्र में वॉटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 145.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

### मद क्रमांक 22

मान परियोजना में मुख्य नहर की लाईनिंग, वितरण शाखा, माईनर, सब-माईनर, टेल माईनर, डाऊन स्ट्रीम ब्रिज का निर्माण एवं विद्युत ग्रिड से संबंधित कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 98.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23

जोबट परियोजना में मुख्य नहर की लाईनिंग, वितरण शाखा, माईनर, सब-माईनर, टेल माईनर, पुल का निर्माण एवं विद्युत ग्रिड से संबंधित कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 98.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24

अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के बांध से दांये एवं बांये किनारे से सिंचाई नहरो के निर्माण कार्यों हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 25

मध्यम और लघु परियोजनाओं के निर्माण हेतु कुछ चुनिंदा परियोजनाओं को लाभ लागत आधार पर परीक्षण कर निर्माण हेतु सर्वे कार्य कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत
1.	बुरहानपुर	खखनार	धामनपुरा तालाब	557.49
2.	बुरहानपुर	खखनार	अम्बाडा बैराज	631.37
3.	अनुपपूर	जैतहारी	तारादण्ड तालाब	762.52
4.	डिण्डोरी	डिण्डोरी	भनवारखण्डी तालाब	906.78
5.	डिण्डोरी	डिण्डोरी	पकार बघेरन तालाब	1089.85
6.	होशंगाबाद	केसला	भगदरा तालाब	366.64
7.	मण्डला	मण्डला	कटंगी तालाब	272.35
8.	मण्डला	नरियागांज	देहरा तालाब	230.25

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43

मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 1**

विभाग अंतर्गत संचालित खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को खेल उपकरण, मशीनों के स्पेयर्स पार्ट आदि के लिये राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अंतर्राष्ट्रीय झील महोत्सव, 2014 का आयोजन भोपाल में किये जाने हेतु राशि रुपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

प्रदेश में पहली बार इंदौर में डेविस कप के आयोजन हेतु राशि रुपये 62.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पायका योजना अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अंतर्गत राज्यांश राशि रुपये 74.59 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 1321.61 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,96,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 2702

**मद क्रमांक 1 - 6**

लघु सिंचाई निर्माण कार्य पर रुपये 7,72,00,000 का व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की पूर्ति मांग संख्या 23-2701 से समर्पित कर की जाना है।

अतः इस हेतु रूपये 7,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

### मद क्रमांक 7

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना अंतर्गत रूपये 140.00 करोड़ तथा निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु रूपये 34030.49 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसमें राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रूपये 50.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है, तथा राशि रूपये 34030.49 लाख की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनु.अनुदान की राशि
1.	सतना	गोपालपुरा तालाब	1085.38	520	100
2.	सतना	कुरी तालाब-2	1692.47	895	100
3.	मदसौर	अस्तपुरा तालाब	1222.73	628	100
4.	पन्ना	बीखुरा तालाब	1068.52	603	100
5.	पन्ना	बरबीरा नाला तालाब	1028.90	575	100
6.	गुना	बिशनखेड़ा स्टापडेम	152.63	120	100
7.	गुना	कीटखेड़ी स्टापडेम	182.15	133	100
8.	गुना	कहारपुरा स्टापडेम	175.00	120	100
9.	दमोह	मडकोलेश्वर स्टापडेम	304.36	400	100
10.	दमोह	केवलारी स्टापडेम	175.33	170	100
11.	दमोह	जयनाथ स्टापडेम	196.43	450	100
12.	दमोह	बम्होरी लीदाई स्टापडेम	192.69	250	100
13.	दमोह	इमलियाधाना स्टापडेम	759.60	515	100
14.	दमोह	आगराघुराटा स्टापडेम	235.05	162	100
15.	दमोह	धाना वियर	265.48	240	100
16.	दमोह	बम्होरी पानजी वियर	189.39	180	100
17.	टीकमगढ़	भानवार घाट	240.55	220	100
18.	टीकमगढ़	आमघाट वियर	141.51	140	100
19.	टीकमगढ़	दाराघाट वियर	143.97	162	100
20.	टीकमगढ़	रामगढ़ तालाब	1710.66	860	100
21.	टीकमगढ़	राजनगर तालाब	1545.34	876	100
22.	टीकमगढ़	खोदरा न.2 तालाब	624.26	376	100
23.	टीकमगढ़	देवपुर तालाब	644.81	342	100
24.	टीकमगढ़	पाथरगांवा तालाब	160.94	84	100
25.	टीकमगढ़	एल.बी.सी. बरूआ नलाला	234.02	245	100
26.	रतलाम	जहानाबाद भेरूघाट वियर	205.74	105	100
27.	रतलाम	कनेरी तालाब	3968.76	1990	100
28.	विदिशा	बलरामपुर केनाल	914.63	1997	100
29.	विदिशा	उकायला केनाल प्रोजेक्ट	945.59	1937	100
30.	विदिशा	निपानिया केनाल प्रोजेक्ट	586.59	1422	100
31.	विदिशा	नागौर केनाल प्रोजेक्ट	760.45	1900	100
32.	रीवा	बम्राहा तालाब	3416.90	1980	100
33.	रीवा	भरघाटी तालाब	378.81	170	100
34.	देवास	रामगढ़ तालाब	3067.81	1400	100
35.	खरगौन	मथियानाला तालाब	350.52	150	100

36.	खरगौन	सुरवा तालाब	276.58	117	100
37.	छतरपुर	तेदुहार तालाब	303.93	140	100
38.	जबलपुर	उराम तालाब	420.65	188	100
39.	जबलपुर	घुघरा नाला	521.34	233	100
40.	राजगढ़	खोकरिया तालाब	665.91	300	100
41.	मंदसौर	घाकडखेडी सालिड वियर	217.84	200	100
42.	मंदसौर	फतेहगढ़ सालिड वियर	143.47	139	100
43.	नीमच	बोरदिया तालाब	204.24	105	100
44.	उज्जैन	ककरियाचंद बैराज	409.83	350	100
45.	सतना	चोलबंसीपुर स्टापडेम कम काजवे	204.64	195	100
46.	सतना	अवनालाभिलखेड़ी सालिड वियर	157.98	160	100
47.	अशोकनगर	घाट बमूरिया स्टापडेम केतन नदी पर	113.89	150	100
48.	सागर	बलईघाट वियर	190.06	195	100
49.	सागर	कानूनी वियर	141.10	165	100
50.	कटनी	बीरोहांली तालाब	192.17	90	100
51.	धार	लम्पडा स्टापडेम	174.19	140	100
52.	मुरैना	दिमनी स्टापडेम	473.53	324	100
53.	राजगढ़	जैतपुरा बैराज	251.17	320	100

-----  
योग                      34030.49              25828              5300  
-----

अतः अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 1,40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं 5300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

नहर संरचनाओं के सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापन मद में रुपये 8,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है तथा निम्नांकित निर्माण कार्य राशि रुपये 12642.28 लाख की लागत से किया जाना है। रुपये 12642.28 लाख की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनु.अनुदान की राशि
1.	दमोह	सूरादेही वियर	320.19	300	100
2.	दमोह	लम्पटी मुदेरी वियर	109.70	100	100
3.	दमोह	घारिया स्टापडेम	260.85	240	100
4.	दमोह	भिलोनी तालाब	609.00	300	100
5.	शाजापुर	भटखेड़ी स्टापडेम	225.84	250	100
6.	शाजापुर	घटियाखुर्द स्टापडेम	242.68	300	100
7.	शाजापुर	देवलबिहार स्टापडेम	224.77	250	100
8.	गुना	मदगांव मंफी तालाब	108.42	65	100
9.	गुना	नीमखेड़ी स्टापडेम	185.20	170	100
10.	रीवा	बिलबिल्हा तालाब	271.23	137	100
11.	शहडोल	घानौरा तालाब	559.72	253	100



12.	शहडोल	झलमाला तालाब	707.92	322	100
13.	झाबुआ	सुतरेती बैराज	252.19	180	100
14.	सतना	बनेसाकर तालाब	347.20	170	100
15.	छतरपुर	जुनावानी तालाब	743.88	335	100
16.	छतरपुर	किशनपुरा तालाब	682.52	335	100
17.	अशोकनगर	रूसलिया बुजुर्ग स्टापडेम	153.19	160	100
18.	अशोकनगर	कुम्हारा स्टापडेम	206.39	170	100
19.	छिंदवाड़ा	खाराघाट स्टापडेम	239.54	195	100
20.	अलिराजपुर	बालदमंश बैराज	142.58	102	100
21.	देवास	गडवाघाट बैराज	178.47	150	100
22.	देवास	डोलवा बैराज	238.10	199	100
23.	राजगढ़	बिरहा तालाब	150.94	77	100
24.	राजगढ़	डालापुरा तालाब	274.61	138	100
25.	राजगढ़	सेमलबेह तालाब	178.14	91	100
26.	बैतूल	जूनावानी तालाब	294.95	135	100
27.	बैतूल	मल्हारा तालाब	228.15	130	100
28.	बैतूल	पालन्गा बैराज	156.71	150	100
29.	बैतूल	दोदरा बैराज	119.37	92	100
30.	बैतूल	नाहरपुर बैराज	128.92	113	100
31.	बैतूल	दोडाजम तालाब	314.46	180	100
32.	बैतूल	खारिया तालाब	446.66	199	100
33.	बैतूल	कोलगांव तालाब	474.11	215	100
34.	शिवपुरी	तिगरा स्टापडेम	377.60	190	100
35.	शिवपुरी	खरवाया स्टापडेम	386.78	185	100
36.	शिवपुरी	तुकी स्टापडेम	391.09	220	100
37.	शिवपुरी	मेहोनी स्टापडेम	284.40	155	100
38.	शहडोल	बनासी तालाब	322.31	150	100
39.	सिंगरौली	सजापानी तालाब	479.61	243	100
40.	उमरिया	सजनिया तालाब	623.89	278	100

योग 12642.28 7624 4000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं राशि रुपये 4000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47  
मुख्य शीर्ष 2203

### मद क्रमांक 1

19 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के लिये कम्प्यूनिटी पोलीटेकि नक योजना अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि रुपये 124.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

सिंगरौली में इंजीयिरिंग महाविद्यालय की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 22.38 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 22,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 3

आई.टी.आई. के लिये पदों की पूर्ति एम.पी. आन लाईन के माध्यम से कराई गई इस हेतु राशि रुपये 47.87 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4,8

विश्व बैंक की सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इम्प्लूवमेंट प्रदेश की 18 आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु भारत सरकार की योजना अंतर्गत (75 एवं 25 प्रतिशत) प्राप्त सहायता राज्यांश राशि रुपये 395.20 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 1185.60 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,80,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 989 नये पदों पर नियुक्तियां होने के कारण राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6 - 7

विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्लूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भोपाल में इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग आफ ट्रेनर्स की स्थापना हेतु (75-25) के अनुपात में प्राप्त केन्द्रांश राशि रुपये 348.64 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 116.21 लाख कुल राशि रुपये 464.85 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,64,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 9

कौशल विकास अंतर्गत 6 ट्रेड की 40 संस्थाओं के भवन निर्माण नाबार्ड के सहयोग से किये जाने हेतु राशि रुपये 32.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1 - 2

विशेष पुलिस योजना अंतर्गत राशि रुपये 13.20 लाख का व्यय आवश्यक है। जिसमें से राशि रुपये 3.20 लाख की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रुपये 3.52 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

### मद क्रमांक 4

सरदार सरोवर परियोजना का संचालन एवं संधारण पर रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 5

इंदिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली अंतर्गत रुपये 50.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

ओंकारेश्वर परियोजना फेस-4 के कार्य हेतु रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

### मद क्रमांक 7

लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सर्वे कार्य हेतु रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

### मद क्रमांक 8

सररदार सरोवर परियोजना के निर्माण के कारण डूब से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित पुनर्वास भू-अर्जन कार्य (आर.एण्ड.आर.) में राशि रुपये 44.52 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु 44,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में जिला तथा परियोजना प्रशासन अन्तर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 2.35 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50

मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 1

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत नेशनल मिशन आन फुड प्रोसेसिंग योजना हेतु राज्यांश रुपये 288.44 तथा केन्द्रांश राशि रुपये 1450.31 कुल राशि रुपये 1738.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,38,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश बागवानी बोर्ड योजना के तहत प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 1**

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 798.06 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,98,06,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 359.67 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,59,67,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 964.49 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,64,49,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

जिला पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 48.63 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,63,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 31.37 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,37,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

जनपद पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 30.61 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,61,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी के मानदेय भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 150.74 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,74,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों आश्रमों में पदस्थ संविदा अधीक्षकों के मानदेय में वृद्धि तथा गैस दरों में वृद्धि के कारण रुपये 25/- प्रति छात्र के मान से प्रदाय किये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 366.88 लाख की आवश्यकता है।



राज्यांश के रूप में रुपये 193.88 लाख कुल रुपये 775.51 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,75,51,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1 - 2

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय योजना अंतर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ता मद हेतु राशि रुपये 72.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिए मानदेय मद में राशि रुपये 5600.03 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 56,00,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 5

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 923.17 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,23,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

### मद क्रमांक 6

विभाग की अन्य योजनाओं के राजस्व अनुभाग से राशि समर्पित कर रुपये 1,43,87,10,000 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत इस योजना के पूंजी अनुभाग में राशि रुपये 14387.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,43,87,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

भारत सरकार द्वारा एक मुश्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण हेतु राशि रुपये 13.52 करोड़ स्वीकृत हुई है। उक्त राशि में से राज्यांश रुपये 946.40 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 405.60 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम योजना अंतर्गत राजस्व अनुभाग से राशि समर्पित कर इसी योजना के पूंजी अनुभाग में राशि रुपये 1601.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,01,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56  
मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 1

आयुक्त हस्तशिल्प म.प्र. भोपाल के अंतर्गत कालीन पार्क योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58  
मुख्य शीर्ष 2245

### मद क्रमांक 1

ओला के अंतर्गत अनुदान मद में राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

बाढ़ राहत के अंतर्गत सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 5,00,00,00,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 61  
मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 1-2

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत उद्यानिकी के कार्यों हेतु प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित है। आवश्यक व्यय राशि की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 3-4

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 7.20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

### मद क्रमांक 5

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 69.80 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4401

### मद क्रमांक 6-7

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 35.94 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 8

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9-10**

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

**मद क्रमांक 11**

केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत संभावित स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राशि रुपये 63.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में चर्च एवं दरगाह इत्यादि को सहायक अनुदान योजना हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 1.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्यांश के रूप में रुपये 2433.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,33,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका छातावास की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राज्यांश के रूप में रुपये 70.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203



**मद क्रमांक 3**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत 19 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रुपये 24.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 4**

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप व्यय किया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 363.35 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 17.22 लाख राज्यांश के रूप कुल रुपये 380.57 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,80,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 5**

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र - छात्राओं को शिष्यवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 125.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 6**

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में पदस्थ कर्मचारियों की गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 18**

विमुक्त जाति छात्रावास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति / आदिम जाति विभाग में स्थापित छात्रावास / आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में से 120 विमुक्त, घुमकूट एवं अर्द्धघुमकूट जाति कल्याण विभाग को हस्तांतरित छात्रावासो / आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 691.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,91,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

विमुक्त, घुमकूट एवं अर्द्धघुमकूट, जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल / व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर उनकी परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 26 जनवरी की झांकी प्रदर्शन, आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार एवं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति के अत्याचार / उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्ति / उनके आश्रितजनों को भारत सरकार द्वारा राहत राशि की संशोधित दर के अनुसार स्वीकृत राहत प्रकरणों में अंतर की राशि के एरियर के भुगतान हेतु रुपये 800.00 लाख का व्यय संभावित है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत रुपये 800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 22**

दीनदयाल अन्तयोदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंती कन्यादान योजना) हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत राशि रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 23**

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से आर्थिक सहायता राशि में हुई वृद्धि के कारण पाल हितग्राहियों को सहायता राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 33.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 24**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाता है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत गत वर्ष की अवशेष राशि का केन्द्रांश गत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनर्वेध किया जा सकेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना में रुपये 65.37 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 7.26 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 72.63 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,63,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25**

कृषि महाविद्यालयों/कृषि शोध संस्थानों द्वारा चयनित प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के उन्नत खेतों का चयन कर प्रदेश के अन्य किसानों को उन खेतों का प्रदर्शन कराकर उन्नत खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1043.46 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,43,46,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन आफ फूड प्रोसेसिंग योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाता है। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्राप्त गत वर्ष की अवशेष राशि एवं इस वर्ष के एलोकेशन अनुसार अनुसूचित जाति उपयोगना में रुपये 334.69 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 66.56 लाख राज्यांश के रूप कुल रुपये 401.25 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,01,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली राशि तथा विगत वर्ष की व्ययगत कुल राशि रुपये 1152.75 लाख का अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास मद में व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,52,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3053

**मद क्रमांक 29**

विमानन संचालनालय द्वारा संचालित एयर होस्टेस तथा फ्लाईट स्टीवर्ड का प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा पंजीयन शुल्क रु. 15000/- प्रति अभ्यर्थी वापस किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रुपये 2.55 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,55,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 30**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में 30 बिस्तरीय वार्ड एवं पोस्टमार्टम भवन का निर्माण लागत रुपये 272.17 लाख एवं जिला चिकित्सालय रायसेन में उन्नयन (बाँउण्डीवाल तथा विद्युतीकरण) कार्य लागत रुपये 148.77 लाख से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 420.94 लाख का व्यय अनुमानित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास में 16 आवासीय भवनो का निर्माण लागत रुपये 165.65 लाख से निर्माण किया जाना है। जिस पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 165.65 लाख का व्यय अनुमानित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 32**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनवाडी केन्द्रो के भवन निर्माण प्रति भवन लागत रुपये 4.50 लाख एवं आंगनवाडी केन्द्रो का उन्नयन प्रति भवन लागत रुपये 1.00 लाख के मान से केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत के अनुरूप व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रुपये 2740.40 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2236 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,40,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम योजना डी.एफ.आई.डी. सहायित योजनांतर्गत प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सभी लोगों को एक समान सुविधाये व लाभ उपलब्ध कराना, शिशु व मातृ मृत्यु की दरों में कमी लाना एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम व बचाव हेतु आंगनवाडी भवनो का निर्माण, आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्रो का उन्नयन, नवीन आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण, आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं आंगनवाडी सह सेक्टर प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रुपये 501.10 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2235 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,01,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 34**

इन्दिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली से संबंधित निर्माण कार्यों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16790.77 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,67,90,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 35**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भदभदा तिराहे से नीलबड़ तक 6.5 कि.मी. सड़क को रुपये 455.00 लाख की लागत से फोरलेन में उन्नयन किया जाना है । व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 1 - 4**

शासन द्वारा महंगाई भत्ते की दरे बढ़ाये जाने, मकान किराया (दो पदो पर नई भर्ती किये जाने) के फलस्वरूप यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण/विदेश यात्रा, वाहनो का प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में जिला तथा परियोजना प्रशासन हेतु राशि रुपये 4.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिया हेतु राशि रुपये 130.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्तियां योजना हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग में वित्त निगम को ऋण भुगतान हेतु राशि रुपये 882.18 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,82,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67  
मुख्य शीर्ष 2059

**मद क्रमांक 1**

शासकीय गैर आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत अंतर्गत रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 2**

शासकीय आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 3**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्मित शाला भवनों में विद्युतीकरण का कार्य हेतु रुपये 44.42 करोड़ का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69  
मुख्य शीर्ष 3425

**मद क्रमांक 1**

नेशनल ई-गवर्नेंस योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रूपये 539.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,39,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना योजना अंतर्गत सिंहासा-इंदौर में आई.टी. पार्क की स्थापना का प्रारंभिक निर्माण कार्य एवं विकास कार्य हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 750.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1**

गैस राहत भोपाल में कमला नेहरू चिकित्सालय अन्तर्गत गृह भाड़ा भत्ता हेतु राशि रुपये 7.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 5**

गैस राहत भोपाल में देशी चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता तथा मजदूरी में क्रमशः राशि रुपये 3.09 लाख, रुपये 6.79 लाख,

0.32 लाख तथा रुपये 0.18 लाख कुल राशि रुपये 10.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

गैस राहत भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अन्तर्गत महंगाई भत्ता में रुपये 24.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

गैस राहत विभाग में मास्टर लालसिंह चिकित्सालय हेतु महंगाई भत्ता मद में राशि रुपये 17.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

गैस राहत विभाग में औषधालय गैस राहत हेतु महंगाई भत्ता मद में राशि रुपये 6.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 10

गैस राहत विभाग में शाकिर अली खान चिकित्सालय हेतु महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ता मद में राशि रुपये 79.41 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 12

गैस राहत विभाग में पल्मोनरी इकाई की स्थापना हेतु महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ता मद में राशि रुपये 52.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13 - 17

गैस राहत विभाग में इंदिरा गांधी चिकित्सालय हेतु महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, सुरक्षा व्यवस्था एवं साफ-सफाई मद हेतु राशि रुपये 33.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73  
मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालय हेतु रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग में मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर हेतु रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंध चिकित्सालयों के कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 1560.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा से संबंध महाविद्यालय में कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

चिकित्सा महाविद्यालय माड्यूलर किचन लान्डी ओ.टी. की स्थापना हेतु राशि रुपये 24.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 840.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 8**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्ध चिकित्सालय हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भुगतान/अंतरिम राहत/ एरियर्स, पेंशन अंशदान आदि के भुगतान हेतु राशि रुपये 4,00,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 9400.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 94,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भुगतान/अंतरिम राहत/ एरियर्स, पेंशन अंशदान आदि के भुगतान हेतु राशि रुपये 3,00,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 4**

पशु चिकित्सालय हेतु औषधि प्रदाय योजना के अंतर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 5**

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान अंतर्गत राज्यांश के लिये राशि रुपये 961.07 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,61,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2853

**मद क्रमांक 6**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि रुपये 2890.34 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,90,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 7**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन हेतु किचिन शेड निर्माण हेतु केन्द्रांश रुपये 1639.15 लाख तथा राज्यांश राशि रुपये 546.38 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,85,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

आदिम जाति कल्याण विभाग में माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 1060.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आदिम जाति कल्याण विभाग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 386.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

आदिम जाति कल्याण विभाग में माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 272.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 620.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



### मद क्रमांक 5

आदिम जाति कल्याण विभाग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 290.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

आदिम जाति कल्याण विभाग में माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 291.60 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,91,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

### मद क्रमांक 7-9

तेहरहर्वे वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्र से मिलने वाले सामान्य अनुपालन अनुदान योजनान्तर्गत (191) में राशि रुपये 7327.18 लाख, (192) में राशि रुपये 5232.43 लाख एवं (193) में राशि रुपये 3383.39 लाख कुल राशि रुपये 15943.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,59,43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 11

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स योजना अंतर्गत परामर्श सेवायें एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

### मद क्रमांक 12

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार को नगरीय निकायों को हस्तांतरण अंतर्गत राशि रुपये 75.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 76

मुख्य शीर्ष 2810

### मद क्रमांक 1

प्रदेश के स्थानीय निकायों की स्ट्रीट लाईट और सौर ऊर्जा लैम्प के विक्रय हेतु रुपये 24.25 करोड़ की आवश्यकता है। भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपये 7.25 करोड़ प्राप्त होंगे।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

संयुक्त संचालक कार्यालय के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय, माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन अंतर्गत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 100,00,00,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय, माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश रूपये 27,20,00,000 एवं राज्यांश राशि रूपये 302,00,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 30,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्कृत शालाओं को माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 1.33 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 5

स्कूल शिक्षा के अंतर्गत अन्य विशेष विद्यालयों में कार्यरत अमले हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये राशि रूपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

अशासकीय अनुदान प्राप्त गायन विद्यालय हेतु माननीय न्यायालयीन निर्णय अनुसार वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु अनुदान राशि रूपये 1.47 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।